

चिकित्सा सहायता सदस्यता
(रूल-280)

पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल / सरकार द्वारा अनुमोदित / चयनित अस्पतालों / औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए 50,000 / -रु. (पचास हजार), अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 1,00,000 / -रु. (एक लाख) व गंभीर बीमारी के लिए मु0 5,00,000 / - (पांच लाख रूपए) की राशि प्रदान की जाती है।

Medical Aid (Outdoor Patient) [Rule No.-280]	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/ औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष बाह्य (Outdoor) चिकित्सा उपचार के लिए मु. 50,000/-रू. (पचास हजार) की राशि प्रदान की जाती है।
Medical Aid (Indoor Patient) [Rule No.-280]	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/ औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष अंतरंग (Indoor) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मु. 1,00,000/-रू. (एक लाख) की राशि प्रदान की जाती है।
Medical Aid (Major illness) [Rule No.-280]	पंजीकृत लाभार्थी और उसके आश्रितों को चिकित्सा उपचार हेतु सरकारी अस्पताल/सरकार द्वारा अनुमोदित/चयनित अस्पतालों/ औषधालयों से चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिवर्ष गंभीर बीमारी के लिए मु. 5,00,000/- (पांच लाख रूपए) की राशि प्रदान की जाती है।